औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2010 से 3/2013

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

संस्था के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्रवाई का सत्यापन करने के पश्चात पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई। अनिर्णीत पैरों के पूर्ण निपटारे हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाएं।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2007

1	पैरा–24	अनिर्णीत	(₹24300/– की वसूली अपेक्षित है)
2	पैरा–25 (1)	अनिर्णीत	(₹8000/– की वसूली अपेक्षित है)

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2009

1	पैरा–4 (क)	निर्णीत	
2	पैरा–4 (ख)	निर्णीत	(₹60/– की वसूली दिनांक 6.11.2013 को कर दी गई है)

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क जमा कर दिया है)
2	पैरा–4 (क)	निर्णीत	(सावधि जमा में निवेशित राशि वित्तीय स्थिति में शामिल करली गई है)
3	पैरा–4 (ख)	निर्णीत	
4	पैरा–5	निर्णीत	
5	पैरा–6	निर्णीत	
6	पैरा–7	निर्णीत	

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

संस्था के छात्र निधि लेखों अवधि 4/2010 से 3/2013 तक का वर्तमान अंकेक्षण श्री चम्बेल सिंह परमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 9.7.2013 से 15.7.2013 व दिनांक 26.10.2013 से 30.10.2013 के दौरान बिलासपुर में किया गया। इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण की विस्तृत जांच हेतु आय पक्ष के लिए माह 7/2010, 8/2011 व 7/2012 तथा व्यय पक्ष के लिए माह 9/2010, 9/2011 व 10/2012 का चयन किया गया। अनुवर्ती पैरों में वर्णित अभिलेखों के अतिरिक्त समस्त अपेक्षित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण को प्रस्तुत किया गया।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। संस्था द्वारा प्रदत्त किसी भी गलत सूचना प्रस्तुत करने किसी सूचना के प्रस्तुत न करने अथवा अपूर्ण सूचना प्रस्तुत करने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं हैं। विभाग का उत्तरदायित्व केवल विस्तृत जॉच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान संस्थान के श्री कुलदीप कुमार चडडा, प्रधानाचार्य आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत्त रहे।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखों अवधि 4/2010 से 3/2013 तक की लेखा परीक्षा हेतु अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹4200/– किया गया तथा अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 188 दिनांक 4.11.2013 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को भेजने हेतु प्रधानाचार्य से अनुरोध किया गया।

4 <u>वित्तीय स्थितिः–</u>

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर के लेखाओं अवधि 4/2010 से 3/2013 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण परिशिष्ट "क" पर दिया गया है।

5 <u>निवेशः–</u>

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर के छात्र निधि लेखों से दिनांक 31.3.2013 को निम्न राशियां सावधि जमा लेखों में निवेशित थी।

क्र0 सं0	निधि का नाम	सावधि जमा संख्या	निवेश की तिथि	अवधि	ब्याज दर	निवेशित राशि ₹ में	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि ₹ में
1	आईकार्ड निधि	10630302930	1.11.12	1 वर्ष	9%	19837	1.11.13	21683
2	कम्पयूटर निधि	10630302931	3.11.12	1 वर्ष	9%	49594	3.11.13	54210
3	छात्र विकास निधि	10630302929	3.11.12	1 वर्ष	9%	119024	3.11.13	130103
4	स्वास्थ्य निधि	10630302927	3.11.12	1 वर्ष	9%	198375	3.11.13	216840
5	परीक्षा निधि	10630302928	3.11.12	1 वर्ष	9%	99187	3.11.13	108420
6	विकास निधि	10630302926	3.11.12	1 वर्ष	9%	337237	3.11.13	368628
7	बीमा निधि	10630302929	3.11.12	1 वर्ष	9%	19837	3.11.13	21683

सावधि जमा में निवेशित राशियों को उनकी परिपक्वता तिथि को भुनाया जाना अथवा पुनः निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए व इन निवेशों पर ब्याज की पुष्टि आगामी अंकेक्षण से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 <u>₹400/– का सम्भावित दुर्विनियोजनः–</u>

निधि संग्रहण रजिस्टर के पृष्ठ 141 पर प्रविष्टि के अनुसार दिनांक 3.8.2011 को ट्रैनिंग एण्ड प्लैसमैन्ट निधि के ₹400/– प्राप्त किये थे। यह राशि न तो सम्बन्धित रोकड़ बही में दर्ज की गई और न ही बैंक खाते में जमा करवाई गई। इन अवस्थाओं में इस राशि के

दुर्विनियोजन से इन्कार नहीं किया जा सकता। राशि को प्राप्त करने के पश्चात रोकड़ वही एवं बैंक खाते में जमा न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त राशि की चूककर्ता से वसूली करके सम्बन्धित निधि में जमा करके अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीध्र अवगत करवाया जाए।

7 सरकारी कोष में जमा राशियों के सत्यापन हेतु चलान प्रस्तुत न करनाः–

विद्यार्थियों से शिक्षा शुल्क एवं प्रवेश शुल्क की प्राप्त राशियों के जमा की रोकड़ वही मे ंप्रविष्टियां की गई थी किन्तु इन राशियों के सरकारी कोष में जमा करने के समर्थन में चालान अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण इन राशियों के सरकारी कोष में जमा की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः निम्न विवरणानुसार प्रवेश शुल्क एवं शिक्षा शुल्क की प्राप्त राशियों के सरकारी कोष में जमा के सत्यापन हेतु चालान आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाये ताकि प्राप्त राशियों के सरकारी कोष में जमा की पुष्टि की जा सकेः–

प्राप्ति की तिथि	प्राप्ति का विवरण	राशि (₹)
20.7.2010	शिक्षा शुल्क	10700
4.8.2011	शिक्षा शुल्क	26400
	प्रवेश शुल्क	3600
8.8.2011	प्रवेश शुल्क	9600
	शिक्षा शुल्क	26400
	शिक्षा शुल्क	14400
8.8.2011	प्रवेश शुल्क	2400
9.8.2011	शिक्षा शुल्क	13200
	प्रवेश शुल्क	1700
19.8.2011	शिक्षा शुल्क	14400
	प्रवेश शुल्क	3200
25.8.2011	शिक्षा शुल्क	74400
	प्रवेश शुल्क	8400
26.8.2011	शिक्षा शुल्क	3600

	प्रवेश शुल्क	200
27.8.2011	शिक्षा शुल्क	8400
	प्रवेश शुल्क	300
7.7.2012	प्रवेश शुल्क	1600
	शिक्षा शुल्क	19200
10.7.2012	प्रवेश शुल्क	8900
	शिक्षा शुल्क	76800
12.7.2012	प्रवेश शुल्क	9800
	शिक्षा शुल्क	85200
23.7.2012	शिक्षा शुल्क	1200
24.7.2012	शिक्षा शुल्क	1200
26.7.2012	शिक्षा शुल्क	3600

इसके अतिरिक्त भविष्य में अंकेक्षण हेतु अपेक्षित चालान अंकेक्षण के दौरान ही सरकारी कोष से इन चालानों के मिलान सहित प्रस्तुत किए जाने भी सुनिश्चित किए जाएं।

8 स्वास्थ्य निधि से प्रदत्त ₹25000/– के ऋण की राशि को वापिस निधि में जमा न करवाना:–

स्वास्थ्य निधि से निम्न विवरणानुसार ₹25000/– की राशि छात्र विकास निधि में ऋण के रूप में हस्तांतरित की गई जिसे अंकेक्षण समाप्ति तक वापिस स्वास्थ्य निधि में हस्तांतरित नहीं किया गया। अतः इस राशि को अविलम्ब स्वास्थ्य निधि में हस्तांतरित/जमा करके अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

भुगतान की तिथि	राशि
3.3.2012	5000
6.3.2012	10000
7.3.2012	10000
कुल राशि	25000

9 ₹16380.00 की वसूली न करनाः–

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान घुमारवीं के विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹16380/– का भुगतान तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को दिनांक 12.9.2011 को परीक्षा निधि से किया गया था इस राशि की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान घुमारवीं से प्राप्त किया जाना था। किन्तु वर्तमान अंकेक्षण की समाप्ति तक भी यह राशि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान घुमारवीं से प्राप्त नहीं की गई। अतः उपरोक्त राशि शीध्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान घुमारवीं से प्राप्त करके परीक्षा निधि में जमा करवाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 वाऊचर संख्या शून्य दिनांक 30.4.2012 ₹7219.00

उपरोक्त वाऊचर द्वारा ₹7219.00 का भुगतान इन्डस्ट्रीयल एरिया विकास एजेन्सी को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के होस्टल के पानी के बिल का माह 3/2012 तक का भुगतान किया गया। भुगतान प्राप्ति की रसीद अभिलेखों में उपलब्ध थी लेकिन भुगतान के सत्यापन हेतु पानी का बिल अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। अतः भुगतान के सत्यापन हेतु बिल आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि कृत भुगतान का सत्यापन सम्भव हो सके।

11 विद्यार्थियों का बीमा न करवानाः–

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों से वर्ष 2010–11 व 2011–12 के दौरान बीमा निधि प्राप्त की थी किन्तु विद्यार्थियों का बीमा नहीं करवाया गया। बीमा निधि प्राप्त करके विद्यार्थियों का बीमा न करवाना गम्भीर अनियमितता है। इससे एक तो विद्यार्थियों से बीमा निधि प्राप्त करने का उद्देश्य ही समाप्त हो गया दूसरे यदि किसी विद्यार्थी की कोई दुर्घटना हो जाती तो उसे बीमा राशि का लाभ भी नही मिल पाता। वर्ष 2010–11 व 2011–12 के दौरान विद्यार्थियों से बीमा निधि प्राप्त करके विद्यार्थियों का बीमा न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार नियमित रूप से विद्यार्थियों का बीमा करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

12 <u>रोकड़ बही का रख रखाव उचित प्रकार से न करनाः—</u>

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर की रोकड़ बही उचित प्रकार से नहीं लिखी गई थी क्योंकि रोकड़ बही में प्राप्त राशियों को बैंक में जमा करने पर भुगतान दर्शाया जा रहा था तथा भुगतान करते समय चैक से भुगतान करते समय पहले रोकड़ बही में प्राप्ति व फिर भुगतान दर्शाया जा रहा था जिससे रोकड़ वही का योग शून्य दर्शाया जा रहा था। रोकड़ बही कुल जमा राशि को नहीं दर्शा रही थी। अतः रोकड़ बही लिखते समय रोकड़ वही का रख रखाव इस प्रकार से किया जाए कि रोकड़ बही कुल जमा राशि को दर्शाये तथा नियमानुसार प्रतिमाह के अन्त में रोकड़ बही के शेषों को आहरण एवं वितरण अधिकारी से सत्यापित करवाया जाये।

13 **लधु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई।

14 **निष्कर्षः—** लेखाओं के रखरखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0) एच 2 (सी)(15) 10(12)103/89 खण्ड—3 दिनांक,21.2.2014, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत 1 प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 शिमला—9 को अतिशीध्र भेजे।

2 निदेशक, तकनीकी शिक्षा हि0प्र0, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0

3 सचिव तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण शिमला—2 हि0प्र0

4 श्री चम्बेल सिंह परमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा..........

हस्ता/—

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.